

17/12/08
27/1/09

न्यायालय उप जिलाधिकारी सहारनपुर

वाद सं० 18/08-09

धारा 143 ज०वि०अधिनियम।

उत्तराखण्ड उत्थान समिति (रजि०)

बनाम

सरकार।

मीजा जमापुर बेरी अहतमाल परगना हरीडा तहसील व जिला सहारनपुर।

संशोधित आदेश दिनांक 27/1/09

उत्तराखण्ड उत्थान समिति (रजि०) 32/4 ई०सी० रोड देहरादून द्वारा सचिव श्रीमती सीमा बंसल पत्नी श्री संजय बंसल व संजय बंसल पुत्र स्व० श्री हरिप्रकाश बंसल निवासीगण 32/4 ई०सी० रोड देहरादून ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अ० प्रस्तुत किया गया। जिस पर तहसीलदार सदर जांच आख्या मंगाई गयी। तहसीलदार सदर की जांच आख्या प्राप्त होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार सदर ने अपनी जांच आख्या में अवगत कराया कि ग्राम जमापुर बेरी अहतमाल के खाता सं० 104 खसा नं० 19 रकबई 0.328 है०, 38/1 म रकबई 0.133 है०, 114/12 म रकबई 0.574, 114/13 रकबई 1.024 है० 114/15 रकबई 0.236 है० व 115/13 रकबई 0.615 है० व 116/30 रकबई 0.205 है० व 226 रकबई 0.615 है० व 243 रकबई 0.143 व 259 रकबई 0.819 है० व 260 रकबई 2.264 है० कुल रकबा 6.956 है० व खाता संख्या 133 खसरा नं० 114/12 म रकबई 0.041 है० व 115/6 है० दो किते रकबई 0.246 है० पर उत्तराखण्ड उत्थान समिति (रजि०) 32/4 ई०सी०रोड देहरादून द्वारा सचिव श्रीमती सीमा बंसल पत्नी श्री संजय बंसल व संजय बंसल पुत्र स्व० श्री हरिप्रकाश बंसल निवासीगण 32/4 ई०सी०रोड देहरादून का नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। विवादित नं० में मौके पर कृषि नहीं किया जा रहा है बल्कि मौके पर चार दिवारी व नीच आदि का कार्य चल रहा है तथा शिक्षा संस्था चलाना चाहता है। अन्त में भूराजस्व समाप्त कर भूमि अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार सदर की आख्या से विदित है, कि विवादित नं० में मौके पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि मौके पर शिक्षण संस्था का निर्माण होने की पुष्टि की गई है। अतः तहसीलदार सदर की आख्या दिनांकी 15.12.08 स्वीकार की जाती है। ग्राम जमापुर बेरी अहतमाल के खाता सं० 104 खसरा नं० 19 रकबई 0.328 है०, 38/1 म रकबई 0.133 है० 114/12 म रकबई 0.574, 114/13 रकबई 1.024 है० 114/15 रकबई 0.236 है० व 115/13 रकबई 0.615 है० व 116/30 रकबई 0.205 है० व 226 रकबई 0.615 है० व 243 रकबई 0.143 व 259 रकबई 0.819 है० व 260 रकबई 2.264 है० कुल रकबा 6.956 है० व खाता संख्या 133 खसरा नं० 114/2 म रकबई 0.041 है० व 115/6 0.205 है० दो किते रकबई 0.246 है० पर उत्तराखण्ड उत्थान समिति (रजि०) 32/4 ई०सी० रोड देहरादून द्वारा सचिव श्रीमती सीमा बंसल पत्नी श्री संजय बंसल व संजय बंसल पुत्र स्व० श्री हरिप्रकाश बंसल निवासीगण 32/4 ई०सी० रोड देहरादून से लगान क्रमशः 173.90 रूपयें व 7.90 रूपयें समाप्त करते हुए भूमि अकृषिक घोषित की जाती है। तदानुसार परधाना अमलदरामद जारी होये पत्रावली वाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जाये। अहदेश की एक प्रति उप-निबन्धक सहारनपुर को प्रेषित की जाये।

दिनांक: 27.01.09
 प्रार्थना पत्र की संख्या 9732
 प्रार्थना पत्र का दिनांक 6/1/13
 नोटिस का दिनांक 6/1/13
 प्रजिनामि देने का दिनांक 6/1/13
 ब्याज प्रतिनिधि 13/1/13
 शब्द लगान 13/1/13
 धर्मधार के हस्ताक्षर 3/1/13

उप जिलाधिकारी
 सहारनपुर
 (जी०पी० सिंह)
 06/1/13

बकल कर्ता
 मुकाबला कर्ता
 जांच कर्ता



RECEIVED

